भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 152
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई

152. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बजट 2025-26 में, विशेषकर पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए घोषित 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाए गए ऋण गारंटी कवर के जरिए अनलॉक किए गए 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) पेद्दापल्ली जिले में जनवरी से जुलाई, 2025 के दौरान कितने सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने संशोधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत गांरटी कवर के लिए अवेदन किया है;

(ग) पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई, विशेषकर कोयला सहायक उद्योगों और ताप विद्युत उपकरण विनिर्माण इकाइयों के लिए स्वीकृत गारंटीशुदा ऋणों के वितरण का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पेद्दापल्ली जिले में पंजीकृत उद्यमों के लिए कवरेज योजना सहित 10 लाख एमएसएमई को लक्षित करते हुए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्डों को शुरू करने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र मे संशोधित योजना के अंतर्गत एमएसएमई के लिए गारंटी शुल्क को कम करने और आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : ऋण तक पहुँच में सुधार करने के लिए संघीय बजट 2025-26 के अनुसार, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2025-26 में दिनांक 31.12.2025 तक 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के स्लैब में एमएसई के लिए 12,498 करोड़ रुपए की कुल 1,778 गारंटियाँ अनुमोदित की गईं, जिनमें से 5 करोड़ रुपए की 1 गारंटी पेद्दापल्ली जिले में अनुमोदित की गई।

(ख) : एमएसई के लिए सीजीएस के तहत, पेद्दापल्ली जिले में जनवरी से जुलाई, 2025 के दौरान एमएसई को 50 करोड़ रुपए की कुल 468 गारंटियाँ अनुमोदित की गईं।

(ग) : पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, एमएसई के लिए सीजीएस के तहत अनुमोदित गारंटियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीजीटीएमएसई-अनुमोदित गारंटियाँ- इसके आरंभ से 31 दिसंबर, 2025 तक संचयी						
	विनिर्माण		सेवा		व्यापार	
जिला	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में
मंचेरियल	438	61	995	73	1,042	79
जगीतियाल	457	152	1,006	79	1,625	75
पेद्दापल्ली	310	106	913	68	1,097	87

(घ) : वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, संघीय बजट 2025-26 के अनुसार, प्रथम वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्डों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा युक्त विशिष्ट रूप से निर्मित क्रेडिट कार्डों की शुरुआत की गई है।

(ङ) : सीजीटीएमएसई में 9,000 करोड़ रुपए की निधि के निवेश के उपरांत, दिनांक 01.04.2023 को सीजीएस का पुनर्निर्धारण किया गया। इस पुनर्निर्धारण के भाग के रूप में, वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ़) की मानक दर को 50% तक घटाते हुए, प्रति वर्ष 0.37% तक कर दिया गया है। एजीएफ़ को 1 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, जो दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है। सीजीटीएमएसई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गारंटी कवरेज के लिए आवेदनों के सुगम ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण को समर्थ बनाने, त्वरित गारंटी अनुमोदनों के लिए स्वचलित प्रक्रिया और सीजीटीएमएसई प्लेटफॉर्म को निर्बाध डेटा प्रवाह के लिए एमएलआई के साथ एपीआई एकीकरण के लिए प्रोद्यौगिकी का सरलीकरण किया है।
